



संस्कृति संचालनालय, म.प्र. शासन

1-शिवाजी नगर (रेडक्रास अस्पताल के पीछे), भोपाल-462016

Website : www.culturemp.in/Email : director-culture@mp.gov.in

अशासकीय संस्थाओं को अनुदान योजना

वर्ष 2026-27 हेतु आवेदन आमंत्रण

संस्कृति संचालनालय द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1973 के अंतर्गत पंजीकृत एवं संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय अशासकीय संस्थाओं से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय सहायता अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

(1) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा जाकर संचालक, संस्कृति संचालनालय, 1-शिवाजी नगर, प्रथम तल, गैस राहत भवन, भोपाल-462016 के पते पर निर्धारित तिथि एवं समय-सीमा में भेजा/प्रस्तुत किया जाना होगा।

(2) प्रस्तुत आवेदनों में किसी प्रकार की अपूर्णता तथा वांछित परिशिष्ट/संग्रहक निर्धारित अनुक्रम में संग्रह नहीं पाये जाने पर, आवेदन विचार योग्य नहीं माना जावेगा।

(3) संस्थाओं को सहायता, अनुदान नियमों के निर्धारित मापदण्डों और राशि की उपलब्धता के आधार पर सक्षम समिति द्वारा विचारोंपरान्त अनुशंसित की जावेगी। समिति की अनुशंसा पर लिया गया प्रशासकीय निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, जिसके संबंध में कोई दावा एवं पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(4) संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान राशि ई-भुगतान के माध्यम से संस्था के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जावेगी। अतः ई-भुगतान हेतु संस्था के वर्तमान परिचालित बैंक खाते की सही एवं पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूप में ओरिजनल 'बैंक खाता वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र' (टंकित भरा जाकर) के साथ संस्था के बैंक खाते का 'निरस्त चेक' संग्रह कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

(5) निर्धारित प्रपत्र में, चेक लिस्ट/वांछित संग्रहकों के साथ, पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन दिनांक 30 अक्टूबर, 2026 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

(6) उक्त निर्धारित अंतिम तिथि तथा समय के पश्चात् कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे तथा अंतिम तिथि के पश्चात् किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(7) अनुदान योजना के नियम, निर्धारित आवेदन-प्रपत्र तथा चेक लिस्ट संस्कृति संचालनालय की वेबसाइट www.culturemp.in पर उपलब्ध हैं।

संचालक, संस्कृति संचालनालय, म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन
संस्कृति विभाग
मंत्रालय

33

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक : 23/02/2024

क्रमांक एफ 2/14/2000/2024/तीस :: राज्य शासन, एतद् द्वारा 'मध्यप्रदेश अशासकीय संस्था अनुदान नियम, 2021' को अतिष्ठित करते हुये, प्रदेश में कला संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अशासकीय प्रयासों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता अनुदान योजना के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

भाग - 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार और प्रारंभ -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश अशासकीय संस्था अनुदान नियम, 2024" है।
- (2) यह नियम, मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं : जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "अनुदान समिति" से अभिप्रेत है, नियम 15 के अधीन गठित समिति;
- (ख) "अशासकीय संस्था" से अभिप्रेत है, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए गठित एवं पंजीकृत संस्थाएं और जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं ;
 - (एक) मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकृत अशासकीय संस्था।
 - (दो) ऐसी अशासकीय संस्था, जो मध्यप्रदेश में संचालित है और तीन या अधिक वर्षों से कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय है।
 - (तीन) ऐसी अशासकीय संस्था, जो विभिन्न कला विधा एवं साहित्य के क्षेत्र में स्तरीय प्रशिक्षण, सेमीनार और नियमित प्रदर्शन आयोजित करती है।
 - (चार) ऐसी अशासकीय संस्था, जो समय-समय पर विशिष्ट स्तर के सांस्कृतिक समारोह तथा साहित्यिक गतिविधियां आदि आयोजित करती हो और किसी समारोह या आयोजन विशेष के लिए सहायता चाहती है।
- (ग) "स्वीकृति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, आयुक्त/संचालक संस्कृति संचालनालय, जो इन नियमों के अधीन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में पूर्ण कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (घ) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश, संस्कृति विभाग।

- (ड.) 'संवितरण प्राधिकारी' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद। योजनान्तर्गत विभिन्न अशासकीय संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान राशि का वितरण, संवितरण प्राधिकारी के माध्यम से किया जावेगा।

भाग -2
सामान्य उपबंध

3. सहायता अनुदान -

- (1) अनुदान तीन प्रकार का होगा अर्थात् :-

- (क) संधारण अनुदान;
- (ख) उपकरण अनुदान
- (ग) शिविर एवं आयोजन अनुदान

4. पात्रता एवं मापदण्ड :-

- (1) अनुदान केवल ऐसे अशासकीय संगठनों/संस्थाओं को दिया जाएगा जैसा कि नियम 2 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट है और प्रशिक्षण, अन्वेषण या/और यथापूर्ण व धर्म निरपेक्ष रूपक, प्रदर्शन एवं कलाओं में प्रदर्शन आयोजित करने जैसे कार्य करती हैं तथा अपने गठन से कम से कम तीन वर्ष से लगातार अस्तित्व में हैं और कला, संस्कृति एवं साहित्य के प्रसार एवं संवर्धन हेतु सतत सक्रिय हैं।

परंतु यह और कि इन नियमों के अधीन अनुदान की स्वीकृत, निधियों की आवश्यकता एवं उपलब्धता के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अधीन होगी।

- (2) इस अनुदान का उपयोग केवल संगठन की इच्छा से किसी भी व्यक्ति/कलाकार/सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मानित करने, स्मृति चिन्ह, शॉल और श्रीफल भेंट करने जैसी गतिविधियों/कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा।
- (3) किसी भी जाति या सांप्रदायिक शिक्षा या धार्मिक कार्यक्रम/आयोजन पर व्यय के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।
- (4) किसी भी संगठन/संस्था द्वारा सहायता अनुदान का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- (5) एक बार अनुदान प्राप्त हो जाने पर, आगे अनुदान प्राप्त करने का कोई आधार नहीं होगा और प्राप्तकर्ता के पक्ष में सहायता अनुदान का कोई स्थायी दावा नहीं होगा। ऐसे मामले के लिए किया गया पत्राचार अमान्य होगा और यह माना जाएगा की संस्था ने इसकी जानकारी होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन किया है।

- (6) सहायता प्राप्त संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों में संबंधित जन प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को आमंत्रित करेंगे।
- (7) संस्था के पंजीकृत विधान/नियमावली में उल्लेखित उद्देश्यों में सांस्कृतिक/साहित्यिक गतिविधियों का संचालन एवं कलाओं का संवर्द्धन तथा विकास आदि वर्णित होना चाहिये।
- (8) आवेदक संस्था आवेदन प्रस्तुत करने के वर्ष से कम से कम पूर्व के तीन वर्षों से निरंतर सक्रिय एवं क्रियाशील होना चाहिये।
- (9) संस्था का मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का पंजीयन प्रमाण-पत्र, आवेदन प्रस्तुत करते समय वैध होना चाहिये।
- (10) ऐसी संस्थाएं, जो सांस्कृतिक/साहित्यिक, रूपंकर और प्रदर्शनकारी कलाओं की शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करती हैं अथवा इन विधाओं में प्रदर्शन आयोजित करती हैं, इस योजना के अन्तर्गत अनुदान के लिये पात्रता के विचारण क्षेत्र में सम्मिलित की जा सकेंगी।
- (11) यदि आवेदक संस्था को विगत तीन वित्तीय वर्षों में संचालनालय द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया हो, तो संस्था द्वारा उस राशि के उद्देशार्थ व्यय के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- (12) आवेदक संस्था की कार्यकारिणी/प्राधिकारियों में यदि शासकीय अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हैं, तो ऐसी संस्थाएं अनुदान की पात्र नहीं मानी जाएंगी।

5. पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट –

किसी भी सहायता प्राप्त संस्था को चलाने वाली सोसायटी या कोई ट्रस्ट, जब तक कि राज्य शासन के विशेष या सामान्य आदेश द्वारा छूट प्राप्त न हो, मध्यप्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (1973 की संख्या 44) या तत्समय प्रवृत्त सुसंगत संबंधित विधान के अधीन अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए।

6. निरीक्षण और लेखा परीक्षा –

- (1) प्रत्येक शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण संस्कृति विभाग के निरीक्षण दल द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अनुदान सहायता प्रदान करने के और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा सकेगा कि क्या पहले प्रदान की गई अनुदान सहायता राशि का उचित उपयोग किया गया है।

- (2) संस्था के लेखे निरीक्षण/परीक्षण हेतु संस्कृति विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी भी एजेंसी एवं महालेखाकार, मध्य प्रदेश को स्वविवेक से उपलब्ध रहेंगे।
7. सहायता प्राप्त संगठन/संस्था का संचालन करने वाली पंजीकृत सोसायटी के प्रबंधन द्वारा अधिकृत/नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पत्राचार मान्य होगा।
8. कर्मचारियों का आचरण –
- (1) सहायता प्राप्त संस्था से जुड़े प्राधिकारी और कर्मचारी ईमानदार और सदाचारी होने चाहिए।
- (2) प्रत्येक सहायता प्राप्त संस्था के प्रबंधकीय अधिकारी सहित अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में यह शर्त रखेंगे कि वे किसी भी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन के सदस्य नहीं होंगे जो राजनीति में भाग लेता है और न ही अन्यथा संबंधित होगा। किसी भी विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में न तो किसी अन्य तरीके से सहायता करेगा, न ही प्रचार करेगा या अन्यथा हस्तक्षेप करेगा, न ही वह इस संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न ही चुनाव लड़ेगा, न ही चुनाव में भाग लेगा।
- परंतु ऐसे निर्वाचन में वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे किन्तु ऐसा करते समय में किसी को मत देने का इशारा किसी भी रीति में नहीं करेंगे;
- परंतु यह और कि मात्र इस कारण से इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा कि उसने तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या विधि के अधीन उन पर अधिरोपित कर्तव्य के अनुपालन में किसी निर्वाचन के संचालन में सहायता की है।
- (3) कोई ऐसी गतिविधि या प्रतिरोधकता संज्ञान में लायी जाती है, जो उक्त नियमों के कार्यक्षेत्र में आती है तो इसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
9. जब कभी कोई सहायता प्राप्त संस्था इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों और मानकों के संबंध में उसके प्रदर्शन पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी का समाधान करने में असफल रहता है तो वह उक्त संस्था के प्राधिकारी को औपचारिक चेतावनी दे सकेगा और निर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटि को सुधारने का आदेश दे सकेगा। यदि संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर संतोषजनक कार्रवाई करने में असफल रहती है तो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी ऐसे अनुदान की कटौती या प्रतिवाद का आदेश कर सकेगा।
10. आवेदन करने की प्रक्रिया –
- (1) अनुदान प्राप्त करने का इच्छुक संगठन/संस्था का प्राधिकारी उचित रूप द्वारा विनिर्दिष्ट उपबंध/आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न "चेक लिस्ट" में उल्लेखित सभी निर्धारित "संलग्नकों" को विहित प्रारूप में यथापूर्ण/यथा प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
- (2) विहित रीति में पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन प्रपत्र संचालक, संस्कृति संचालनालय, भोपाल के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

- (3) निश्चित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित आवेदक संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा भेजा गया आवेदन विहित समय सीमा के भीतर पहुंच जाए।
- (4) यह आवश्यक होगा कि समस्त अभिलेख और जानकारी स्व – अभिप्रमाणित रूप में संलग्न की जाए। यदि सम्यक रूप से भरी गई जानकारी/दस्तावेज आदि के साथ पूर्ण रूप से भरी गयी "जांच सूची" (चेक लिस्ट), आवेदन पत्र के साथ प्राप्त नहीं होती है तो आवेदन पत्र को निरस्त माना जाएगा।
- (5) आवेदक, उसके द्वारा प्रस्तुत किए आवेदन और उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा
- (6) प्राधिकारी, प्रकरण के पुनर्विलोकन के दौरान आवश्यकता होने पर किसी अतिरिक्त जानकारी को मंगा सकेगा एवं उसकी विशिष्ट अनुशंसाओं साथ संबंधित अनुदान समिति के समक्ष रखेगा।
- (7) अंतिम तिथि तक जमा किये गये अनुदान आवेदन में कोई नया दस्तावेज या अभिलेख जोड़ने/सुधार/संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।
- (8) आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं वांछित जानकारी का विवरण कार्यालय, संस्कृति संचालनालय अथवा वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

11. आवेदन पत्रों का निपटारा –

- (1) अस्वीकृत आवेदन पत्र :- निर्णय के पश्चात अस्वीकृत आवेदन पत्रों को निष्क्रिय मानते हुए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के पश्चात निपटारा किया जा सकेगा।
- (2) ऐसी संस्थाओं के आवेदनों को जिन्हें अनुदान प्राप्त हो चुका है, अंकेक्षण के तुरंत पश्चात नष्ट किया जाएगा तथा कोई पृच्छा/दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भाग – तीन संधारण अनुदान

12. संधारण अनुदान –

- (1) यह एक आवर्ती अनुदान है, जिसे संस्थाओं की गतिविधियों के प्रचालन और संधारण के लिए दिया जा सकेगा –
 - (क) प्रशिक्षण।
 - (ख) कला प्रदर्शन।
- (2) यह अनुदान वार्षिक आधार पर स्वीकृत किया जाएगा तथा आवेदित आयोजन/परियोजना लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत तक सीमित होगा।

भाग – चार उपकरण अनुदान

13. उपकरण अनुदान –

- (1) यह अनावर्ती अनुदान है, जो किसी मान्यता प्राप्त कला सांस्कृतिक संस्थान को उपकरण और फर्नीचर क्रय के प्रयोजन के लिए दिया जा सकेगा, जिसमें पुस्तकें नक्शे, चार्ट, दृश्य – श्रव्य उपकरण, विद्युत उपकरण तथा ऐसी वस्तुएं सम्मिलित होंगी, जो संस्कृति विभाग द्वारा आवश्यक समझी जाएं।

- (2) उपकरण अनुदान मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान को विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए दिया जा सकता है ।
- (3) उपकरण अनुदान की अधिकतम सीमा –
पुस्तकें, विद्युत् उपकरण, श्रव्य – दृश्य उपकरण, ध्वनि उपकरण, संगीत वाद्य, कैमरा, रिकॉर्ड प्लेयर तथा कर्मशाला के अन्य उपकरणों पर वास्तविक व्यय की 90 प्रतिशत तक होगी।

भाग – पांच
शिविर एवं आयोजन अनुदान

14. शिविर एवं आयोजन अनुदान –

- (1) यह कला संस्था अथवा अन्य संस्थानों को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए दिया जा सकता :-
- (क) प्रशिक्षण से जुड़े किसी शिविर अथवा आयोजन के लिए;
- (ख) किसी विशिष्ट प्रयोजन के कार्य हेतु शिविर।
- (2) शिविर और आयोजन अनुदान की अधिकतम सीमा प्रस्तावित सकल व्यय के 90 प्रतिशत तक होगी।

भाग – छः
अनुदान समिति

15. अनुदान समिति का गठन –

- (1) योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान प्रस्तावों पर विचार कर अनुदान की अनुशंसा करने हेतु अनुदान समिति गठित की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1	संचालक, संस्कृति संचालनालय	अध्यक्ष
2	उप/अवर सचिव, संस्कृति विभाग	सदस्य
3	उप/अवर सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4	निदेशक, उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी, भोपाल	सदस्य
5	निदेशक, जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, भोपाल	सदस्य
6	निदेशक, साहित्य अकादमी, भोपाल	सदस्य
7	विभिन्न क्षेत्रों में चार अशासकीय सदस्य (प्रदेश के साहित्य और कला क्षेत्र के मनोनीत विशेषज्ञ : रंगकर्म 1, संगीत 1, – साहित्य-1, ललित कला –1) (राज्य शासन द्वारा मनोनित)	सदस्य
8	उप संचालक/कार्यालय प्रमुख, संस्कृति संचालनालय, म.प्र.	सदस्य सचिव

- (2) समिति में मनोनीत अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष का रहेगा।
- (3) अनुदान राशि के संबंध में उक्त समिति की अनुशंसा और इस पर प्रदत्त प्रशासनिक अनुमोदन अंतिम निर्णय होगा।

राज्य शासन की शक्ति

16. राज्य शासन की शक्ति –

- (1) राज्य शासन वित्तीय वर्ष के दौरान अपरिहार्य स्थितियों में आवश्यकतानुसार अनुदान स्वीकृत करने में सक्षम होगा।
- (2) राज्य शासन, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी संस्था को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकती और उन्हें तदर्थ या किसी अन्य विशेष आधार पर अनुदान उपलब्ध कर सकेगा।
- (3) यदि इन नियमों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य शासन इसे हटाने के लिए उपयुक्त आदेश पारित कर सकती है।

17. अपील –

कोई भी व्यथित संगठन/संस्था प्रभारी सचिव, संस्कृति विभाग को अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में अपील या अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। उसके पास किसी भी अपील/प्रतिवेदन को अंतिम रूप से निपटाने की शक्ति होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुनील दुबे)

उप सचिव

म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग

आवेदन का प्रारूप

‘म.प्र. अशासकीय संस्था को अनुदान’ योजना के अन्तर्गत
अनुदान हेतु आवेदन-पत्र : वर्ष 2026-27

प्रति,

संचालक,
संस्कृति संचालनालय, भोपाल

विषय: म.प्र. अशासकीय संस्था को अनुदान हेतु आवेदन।

—:—

हम, एतद् द्वारा अनुदान हेतु निम्नलिखित आवेदन प्रस्तुत करते हैं —
वित्तीय वर्ष 2026-27

(1) आवेदक संस्था का विवरण :-

(क) संस्था का नाम

(ख) संस्था का वर्तमान पूर्ण पता (पिनकोड सहित)

(ग) संस्था की स्थापना का वर्ष

(घ) संस्था का म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीयन क्रमांक/दिनांक :

(ङ) संस्था के वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति परिशिष्ट क्र.

(च) रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित विधान/नियमावली की प्रति परिशिष्ट क्र.

(2) धारा 28 के अंतर्गत नवीनतम वार्षिक विवरण फाईल करने का प्रमाण परिशिष्ट क्र.

(3) संस्था के वर्तमान पदाधिकारियों के नाम, पते एवं दूरभाष/मोबाईल नं. :

पदनाम	नाम	पता	दूरभाष/मोबाईल नं.
संरक्षक			
अध्यक्ष/निदेशक			
उपाध्यक्ष/उप निदेशक			
कोषाध्यक्ष			
सचिव			

- (4) धारा 27 के अंतर्गत फाईल की गई संस्था की रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी द्वारा सत्यापित नवीनतम वार्षिक सूची परिशिष्ट क्र.
- (5) संस्था का PAN नं. की प्रति परिशिष्ट क्र.
- (6) संस्था के वर्तमान बैंक खाते का मूल वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र
(प्रारूप संलग्न) एवं निरस्त चेक। परिशिष्ट क्र.
- (7) संस्था के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (नाम, पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार) की प्रति संलग्न करें। परिशिष्ट क्र.
- (8) संस्था की विगत तीन वर्षों की वर्षवार मुख्य गतिविधियां (संक्षिप्त में) एवं समाचार पत्रों में (दिनांक एवं संस्करण सहित) प्रकाशित कार्यक्रमों के फोटोग्राफ/सी.डी. संलग्न करें।
(जिसमें पिछले तीन वर्षों के वर्षवार पृथक-पृथक प्रमाणित साक्ष्य हों)
परिशिष्ट क्र.
- (9) विगत तीन वर्षों में संस्कृति संचालनालय से प्राप्त सहायता अनुदान की राशियां एवं इसके उपयोग से सम्पन्न गतिविधियों के ब्यौरे (आवश्यक होने पर परिशिष्ट संलग्न करें)
परिशिष्ट क्र.

वर्ष	प्राप्त अनुदान (रु. लाख में)	कार्यक्रम का नाम	विधा/कलारूप	व्यय की गई राशि (रु. लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				योग
				योग
				योग

- (10) संचालनालय द्वारा संस्था को विगत तीन वर्षों में स्वीकृत (यदि स्वीकृत की गयी हो) अनुदान राशि के उपयोग का वर्षवार अंकक्षित (चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित) उपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्यय विवरण सहित संलग्न करें। **परिशिष्ट क्र.**
- (11) पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार एवं किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के ब्यौरे और प्रयोजन :-

वर्ष	संस्था का नाम जहां से अनुदान प्राप्त हुआ	अनुदान राशि (रु.)	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)

- (12) संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों का नाम/शीर्षक (जिसके लिए अनुदान चाहा गया है) तथा विवरण (अधिकतम 300 शब्दों में) एवं मदवार लागत विवरण। **परिशिष्ट क्र.**
- (13) चाही गई वित्तीय सहायता राशि रु.
- (14) विगत तीन वर्षों के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिटेड आय-व्यय/प्राप्ति भुगतान, बैलेन्स शीट एवं अंकक्षण प्रतिवेदन संलग्न करें :-

1. वित्तीय वर्ष
2. वित्तीय वर्ष
3. वित्तीय वर्ष

परिशिष्ट क्र.		
परिशिष्ट क्र.		
परिशिष्ट क्र.		

: नियम/शर्तें :

1. आवेदन के साथ संलग्न चेक-लिस्ट पूर्ण रूप से भरी हो एवं वांछित समस्त संलग्न अभिलेख, संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हों।
2. जिन संस्थाओं को इस योजना के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत किया जायेगा उन्हें उस वित्तीय वर्ष में संचालनालय से पृथक से अन्य कोई सहायता/सहयोग प्रदान नहीं किया जा सकेगा।
3. जिस कार्यक्रम/गतिविधि के लिये कितनी-कितनी राशि का अनुदान चाहा गया है, कंडिका 12 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे। इसके आधार पर ही आवेदन विचारार्थ रखा जा सकेगा।

4. सक्षम समिति के विचार उपरान्त जिन संस्थाओं को अनुदान दिया जायेगा, उनके आवेदन संचालनालय के उस वित्तीय वर्ष के प्रथम अंकेक्षण/एक वर्ष तक एवं जिन संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत नहीं होगा, उनके आवेदन अनुदान स्वीकृति आदेश जारी होने के एक माह पश्चात विनिष्ट किये जा सकेंगे। इसके लिये किसी भी तरह की मांग अथवा प्रश्न नहीं किया जा सकेगा।
5. समयावधि में प्रस्तुत आवेदनों में किसी प्रकार की अपूर्णता न हो तथा वांछित परिशिष्ट/संलग्नक, चेक लिस्ट के निर्धारित अनुक्रम में संलग्न किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. संस्थाओं को सहायता, अनुदान नियमों के निर्धारित मापदण्डों और राशि की उपलब्धता के आधार पर सक्षम समिति द्वारा विचारोपरांत अनुशंसित की जावेगी। तदसंबंध में लिया गया प्रशासकीय निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा, जिसके संबंध में कोई दावा/पत्राचार मान्य नहीं होगा।
7. पात्र संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से ही किया जावेगा। अतः ई-भुगतान हेतु वर्तमान बैंक खाते की सही एवं पूर्ण जानकारी निर्धारित "बैंक खाता वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र" (टंकण द्वारा भरा गया एवं ओरिजिनल) में प्रस्तुत किया जाना किया जावे।

मैं

पद

संस्था का नाम

सत्यतापूर्वक यह अभिकथन करता हूँ कि संस्था की ओर से अनुदान आवेदन प्रस्तुत करने तथा संलग्न दस्तावेजों/प्रतिलिपियों को सत्यापित/प्रमाणित करने हेतु अधिकृत हूँ तथा संस्था की उक्त प्रस्तुत/संलग्न समस्त जानकारी/विवरण सत्य है। हमारी संस्था को सहायता अनुदान योजना संबंधी समस्त शर्तें-नियम स्वीकार हैं। हम वचन देते हैं एवं इससे पूरी तरह सहमत हैं कि अनुदान हेतु प्रस्तुत अस्वीकृत आवेदन निर्णय होने के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह पश्चात एवं अनुदान स्वीकृत/प्राप्त संस्थाओं के आवेदन उस वर्ष के प्रथम अंकेक्षण के तत्काल बाद विनिष्ट कर दिये जायें तथा आवेदन के साथ संलग्न किये गये समस्त अभिलेख मेरी संस्था की व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण किसी अन्य को दिये जाने हेतु असहमति व्यक्त करता हूँ।

संस्था पदाधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम एवं मुद्रा)

नोट : कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन के साथ संलग्न 'चेक लिस्ट' पूर्ण रूप से भरी गयी हो एवं संलग्न समस्त 'परिशिष्ट' पर पृष्ठ क्रमांकित किये जाकर, चेक लिस्ट में पृष्ठ क्रमांक दर्शाये गये हों।

बैंक अकाउन्ट वेरीफिकेशन (सत्यापन) प्रमाण-पत्र

(समस्त विवरण अनिवार्यतः टंकित कर भरा जावे)

मैं/हम (समिति का नाम)
संस्कृति संचालनालय द्वारा संवितरित की जाने वाली राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संस्था के
निम्न बैंक खाते में सीधे अंतरण चाहते हैं। संस्था के बैंक खाते का ब्यौरा नीचे दिया गया है
:-

संस्था का विवरण

संस्था का नाम (जैसा कि बैंक खाते में है)	
पूर्ण पता	
दूरभाष/मोबाईल नंबर	
ई-मेल का पता (यदि हो)	
संस्था के वर्तमान बैंक खाते का विवरण	
बैंक का नाम	
बैंक शाखा (पूर्ण पता और दूरभाष नंबर)	
खाते का प्रकार	
बैंक खाता नंबर	
ECS/RTGS/NEFT की सुविधा उपलब्ध है	
IFSC code	
MICR Code	

हस्ताक्षर :

संस्था पदाधिकारी का नाम :

संस्था की रबर सील :

उक्त संस्था का बैंक खाता नंबर और आई.एफ.एस.सी./एम.आई.सी.आर. कोड आदि, ऊपर दिये गए हैं, वह मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं और शुद्धतः अभिलेखित किए गए हैं।

(खाता संधारण करने वाली शाखा)

(बैंक की रबर पद मुद्रा एवं प्रबंधक के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणिकरण किया जाए)

चेक-लिस्ट
(पूर्ण रूप से भरकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

क्र.	संलग्न की जाने वाली जानकारी / दस्तावेज	आवेदन प्रपत्र का बिन्दु क्र.	जानकारी/दस्तावेज संलग्न किया है। (हाँ/नहीं अथवा लागू नहीं लिखें)	परिशिष्ट क्रमांक	आवेदन के साथ संलग्नक का पृष्ठ क्र.	
					पृष्ठ क्र. से	पृष्ठ क्र. तक
1.	संस्था का म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति।	(1)ड				
2.	संस्था की नियमावली/ विधान (रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित) की प्रति। धारा	(1)(च)				
3.	धारा 28 के अंतर्गत संस्था की वैधता का नवीनतम प्रमाण पत्र की प्रति।	(2)				
4.	धारा 27 के अंतर्गत संस्था की कार्यकारिणी की रजिस्ट्रार, फर्स एवं सोसायटी द्वारा सत्यापित नवीनतम वार्षिक सूची की प्रति।	(4)				
5.	संस्था का जायकर PAN की प्रति।	(5)				
6.	निर्धारित प्रपत्र में बैंक खाता वेरीफिकेशन का ओरिजनल प्रमाण-पत्र (बैंक की सील/हस्ताक्षर के साथ)	(6)				
7.	संस्था के बैंक खाते के पासबुक के प्रथम पृष्ठ (नाम, पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार) की प्रति एवं संस्था के बैंक खाते का निरस्त चेक संलग्न किया जाना अनिवार्य।	(7)				
8.	संस्था के विगत तीन वर्षों के मुख्य कार्यकलाप / गतिविधियों का विवरण (मनामित साक्ष्य सहित)	(8)				
9.	विगत तीन वर्षों में संस्कृति संचालनालय से प्राप्त अनुदान एवं इसके उपयोग की जानकारी (गतिविधियों एवं व्यय विवरण सहित)	(9)				
10.	संचालनालय द्वारा संस्था को विगत तीन वर्षों में स्वीकृत अनुदान का, सी. ए. द्वारा प्रमाणित वर्षवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।	(10)				
11.	संस्था द्वारा अनुदान हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम / शीर्षक तथा संक्षिप्त विवरण।	(12)				
12.	विगत तीन वर्षों के ऑडिटेड जाय-व्यय/प्राप्ति भुगतान एवं बैलेन्स	(14)				